



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270656
CG-DL-E-03032026-270656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1085]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1085]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1137(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-135B के सिरमौर - डभौरा खंड के कि.मी. 36+700 से कि.मी. 73+813 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जवा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-135B के सिरमौर - डभौरा खंड के कि.मी. 43+500 से कि.मी.

73+813 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: रीवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जवा					
गांव का नाम: डभौरा					
1	1243/1	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0082 (हेक्टेयर)	0.0082
2	1243/6	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0133 (हेक्टेयर)	0.0133
गांव का नाम: रमगढवा					
3	442	सरकारी	कृषि	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
4	52	सामान्य	कृषि/आवासीय (निजी/सरकारी)	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
5	53	सामान्य	कृषि/आवासीय (निजी/सरकारी)	0.0304 (हेक्टेयर)	0.0304
6	538	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
7	539	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0469 (हेक्टेयर)	0.0469
8	55	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0354 (हेक्टेयर)	0.0354
9	59	सामान्य	कृषि / आवासीय (निजी/सरकारी)	0.0354 (हेक्टेयर)	0.0354
10	60	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
11	8	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
गांव का नाम: पूछी					
12	10	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062

13	11	सरकारी	कृषि	0.0236 (हेक्टेयर)	0.0236
14	15	सरकारी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
15	9	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0316 (हेक्टेयर)	0.0316
गांव का नाम: सीगोटोला					
16	441	सरकारी	आयुर्वेदिक दवा केन्द्र	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
17	442	सरकारी	आयुर्वेदिक दवा केन्द्र	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
18	443	सरकारी	सेवा सहकारी समिति	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
19	584	सरकारी	कृषि/आवासीय	0.0172 (हेक्टेयर)	0.0172
20	585	निजी	कृषि/आवासीय	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
21	587	निजी	कृषि	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
22	591	निजी	कृषि	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
23	592	निजी	कृषि/आवासीय	0.0262 (हेक्टेयर)	0.0262
24	594	निजी	कृषि	0.0412 (हेक्टेयर)	0.0412
25	595	निजी	कृषि	0.0363 (हेक्टेयर)	0.0363
26	597	निजी	कृषि/आवासीय	0.1949 (हेक्टेयर)	0.1949
27	605	निजी	कृषि	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
28	606	निजी	कृषि/आवासीय	0.0149 (हेक्टेयर)	0.0149
29	607	निजी	कृषि/आवासीय	0.0418 (हेक्टेयर)	0.0418
Total					0.7116

[फा. सं. CE-ROBPL/30010/77/23-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2026

S.O. 1137(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-135B section of Sirmaur - Dabhaura in the stretch of land from Km. 36+700 to Km. 73+813 in the district of REWA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (R.) Jawa in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling under NH-135B section of Sirmaur - Dabhaura in the stretch of land from Km. 43+500 to Km. 73+813 in the district of REWA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: REWA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jawa					
Village: Dabhaura					
1	1243/1	Common	Agriculture (Private/Government)	0.0082 (Hectare)	0.0082
2	1243/6	Common	Agriculture (Private/Government)	0.0133 (Hectare)	0.0133
Village: Ramgarhwa					
3	442	Government	Agriculture	0.0072 (Hectare)	0.0072
4	52	Common	Agricultural/Residential (Private/Government)	0.0105 (Hectare)	0.0105
5	53	Common	Agricultural/Residential (Private/Government)	0.0304 (Hectare)	0.0304
6	538	Common	Agriculture (Private/Government)	0.0084 (Hectare)	0.0084
7	539	Common	Agriculture (Private/Government)	0.0469 (Hectare)	0.0469
8	55	Common	Agriculture (Private/Government)	0.0354 (Hectare)	0.0354
9	59	Common	Agricultural/Residential (Private/Government)	0.0354 (Hectare)	0.0354

10	60	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0054 (Hectare)	0.0054
11	8	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0084 (Hectare)	0.0084
Village: Punchhi					
12	10	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0062 (Hectare)	0.0062
13	11	Government	Agriculture	0.0236 (Hectare)	0.0236
14	15	Government	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
15	9	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0316 (Hectare)	0.0316
Village: Sigotola					
16	441	Government	Ayurvedic dispensary	0.0002 (Hectare)	0.0002
17	442	Government	Ayurvedic dispensary	0.0017 (Hectare)	0.0017
18	443	Government	Service cooperative society	0.0003 (Hectare)	0.0003
19	584	Government	Agricultural/ Residential	0.0172 (Hectare)	0.0172
20	585	Private	Agricultural/ Residential	0.0125 (Hectare)	0.0125
21	587	Private	Agriculture	0.0073 (Hectare)	0.0073
22	591	Private	Agriculture	0.0061 (Hectare)	0.0061
23	592	Private	Agricultural/ Residential	0.0262 (Hectare)	0.0262
24	594	Private	Agriculture	0.0412 (Hectare)	0.0412
25	595	Private	Agriculture	0.0363 (Hectare)	0.0363
26	597	Private	Agricultural/ Residential	0.1949 (Hectare)	0.1949
27	605	Private	Agriculture	0.0001 (Hectare)	0.0001
28	606	Private	Agricultural/ Residential	0.0149 (Hectare)	0.0149
29	607	Private	Agricultural/ Residential	0.0418 (Hectare)	0.0418
Total					0.7116

[F. No. CE-ROBPL/30010/77/23-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director